भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 464/अनु/2017-ईपीएस दिनांक: 21फरवरी, 2017

सेवा में,

1. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
2. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
3. सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल

विषय: निर्वाचन संबंधी क्रिया कलापों में बाल श्रमिकों को लगाना-तत्संबंधी

संदर्भ:

1. आयोग का दिनांक 01/05/2009 का पत्र सं॰464/अनु/2009/ईपीएस
2. आयोग का दिनांक 02/05/2013 का पत्र संख्या 464/अनु/2013-ईपीएस
3. आयोग का दिनांक 16/09/2014 का पत्र संख्या 464/अनु/2013-ईपीएस

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर ऊपर संदर्भित आयोग के पत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। समय-समय पर आयोग ने निदेश दिए हैं कि राजनैतिक दलों और निर्वाचन आधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया में बाल श्रमिकों को लगाने से बचना चाहिए।

2. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीएच), भारत सरकार ने दिनांक 20/01/2017 के पत्र सं. ए-11033/77/2017 द्वारा आयोग से अनुरोध किया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्वाचन अधिकारियों या राजनैतिक दलों द्वारा बच्चों को निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाए।

3. उपर्युक्त के आलोक में, आयोग अपने पुराने निदेशों को पुन: दोहराता है कि राजनैतिक दलों और निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को किसी भी निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल नहीं किया जाए।

भवदीय,

(सुमित मुखर्जी)
सचिव